

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याता, संस्कृत (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है :—

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण मय अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1	श्रीमती रीता कटारिया व्या. संस्कृत रावाउमावि मटका चौक, श्रीगंगानगर	पुत्र से मिलने हेतु (अवधि दिनांक 16.05.2019 से 12.06.2019 तक) कुल 28 दिवस	संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृत नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
- (ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक बाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
- (द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(निधमल डिल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा—मा/संस्था/सी—१/अंग्रेजी—संस्कृत/विदेशयात्रा—एनओसी/2019 दिनांक— 26/04/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर
- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर
- प्रधानाचार्य, रावाउमावि मटका चौक, श्रीगंगानगर।
- कार्मिक श्रीमती रीता कटारिया, व्या. संस्कृत रावाउमावि, मटका चौक, श्रीगंगानगर
- सिर्टम ऐनेलिसिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर